न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325671

GCMS NO.-2024/338

मिसल नम्बर– 97 / 2024

श्रीमती मन्जू कासलीवाल पत्नि स्व0 श्री देशनिधि कासलीवाल उम्र 73 वर्ष निवासीनी प्लॉट संख्या 668 चम्बल गार्डन रोड दादाबाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती शिखा कासलीवाल धर्मपत्नि श्री अंकित कासलीवाल उम्र 40 वर्ष निवासीनी प्लॉट संख्या 668 चम्बल गार्डन रोड दादाबाड़ी कोटा हाल निवासीनी श्री मन्निदर कुमार जैन जी–60 ईस्ट ऑफ कैलाश, ओखला मण्डी के पास नई दिल्ली

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र)

दिनांक.....09/06/25

उपस्थिति:–

1.श्री दिनेश सिंह चौहान अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री कल्पेश अकोदिया, श्री बलभद्र बुलिया अधिवक्ता अप्रार्थी

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास लगभग 4 वर्ष पूर्व होने के पहले से ही प्रार्थीया, उसके पति एवं अप्रार्थीया, अप्रार्थीया के पति अर्थात् प्रार्थीया का पुत्र अंकित कासलीवाल एवं उनके दोनों पुत्रों रिवान कासलीवाल (उगम्र 12 वर्ष) एवं रियांश कासलीवाल (उम्र 11 वर्ष) के साथ एक संयुक्त परिवार के रूप में, प्रार्थीया के हक व एकल स्वामित्व की अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या–668, चम्बल गार्डन रोड़, दादाबाड़ी कोटा, राजस्थान 324009 में रिहायश करते चले आ रहे है प्रार्थीया के पुत्र अंकित कासलीवाल एवं अप्रार्थीया का विवाह दिनांक 29–03–2009 को सरोज कुंज, फरीदाबाद, हरियाणा में समस्त हिन्दू रीति–रिवाजों एवं सप्तपदी को पूर्ण करके सभी परिवारजन एवं मित्रगण के सामक्ष सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया के उक्त पुत्र एवं अप्रार्थीया के वैवाहिक जीवन के दौरान, प्रार्थीया की निजी जानकारी अनुसार अप्रार्थीया के वैवाहिक जीवन के दौरान, आज दिन तक विभिन्न अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध तीन पराये मर्दों, से रहे है, जिसके चलते प्रथम अनैतिक सम्बन्ध की जानकारी प्रार्थीया एवं उसके परिवारजन को होने पर अप्रार्थीया एवं प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का उक्त पुत्र काफी समयावधि के लिये अलग हो गये थे, परन्तु तत्समय प्रार्थीया के दोनों पौत्र दो एवं तीन वर्ष के होने के कारण एवं अप्रार्थीया द्वारा बारम्बार माफीयां मांगकर ऐसो घिनौना कृत्य पुनः नही करने का आश्वासन देने पर, प्रार्थीया एवं उनके (स्वर्गीय) पति द्वारा अप्रार्थीया को अपने परिवार में पुनः स्वीकार किया गया था। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीया को परिवार में वापिस शामिल करने पर अप्रार्थीया का प्रार्थीया एवम उसके परिवारजन को अधिक स्नेह एवं इज्जत देने की बजाय अप्रर्थीया द्वारा आये दिन, कोई ना कोई नया कारण स्वयं ही बनाकर, कभी प्रार्थीया को तो कभी प्रार्थीया के तत्समय बीमार पति अथवा प्रार्थीया के पुत्र अंकित से लड़ाई एवं गाली–गलौच प्रारम्भ कर दी गई। घर का माहौल बिगाडने की बदनियति से, अप्रार्थीया द्वारा आये दिन अपने दोनों बच्चों के लिये रखी पृथक – पृथक नौकरानियों को ना सिर्फ बदला जाने लगा बल्कि आये दिन उनसे भी बदसलूकियां की जाती रही, जिसके चलते अप्रार्थीया द्वारा लगभग 24 नौकरानियां आज दिन तक बदली जा चुकी है, जिनमें से प्रार्थीया को अभी हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रार्थिया द्वारा प्रार्थीया से छुपाकर, कुछ नाबालिग लडकियों को भी बतौर नौकरानियां रखा गया। घर के अन्य नौकरों से भी अप्रार्थीया का व्यवहार आये–दिन बद–से–बदत्तर ही होता चला गया, जिसके चलते अप्रर्थीया द्वारा एक गिलास का पानी तक स्वयं पीना बन्द करते हुए, अपनी चप्पल एवं जूते भी स्वयं ना पहन कर नौकरों से पहनना एवं बदलवाना शुरू कर दिया गया। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की वृद्धा अवस्था का फायदा उठाकर, आये–दिन जानबूझकर प्रार्थीया से नौकरों के सामने गाली–गलौच से एवं अपनी मोटी–मोटी आंखे बाहर निकालकर, अपने हद से बाहर जाते हुए चीखते एवं चिल्लाते हुए, विभिन्न अपशब्दों जैसे की सठियाई हुई बुढ़िया, पागल औरत, धरती पर बोझ एवं प्रार्थीया के पुत्र को कभी गधा कभी कुत्ता कहकर सम्बोधित करते हुए प्रार्थीया को गधे की माँ कभी कुत्ते की माँ कहकर आये–दिन ही खून के आंसू अप्रार्थीया द्वारा रूलाये गये है। तथा प्रतिपक्षी सदेव जिद करती कि प्रार्थीया अपने मिल्कीयती एवं कब्जे, रिहायिश के मकान, प्लॉट संख्या–668, चंबल गार्डन रोड, दादाबाडी, कोटा के दस्तावेज का निष्पादन करते हुए उसे अप्रार्थीया के पक्ष में उपपंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत करवा दें तथा वह इस बात को लेकर प्रार्थीया के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता का व्यवहार करती आयी है एवं प्रार्थीया, उसके पुत्र को झूठे फौजदारी मुकदमों में फसाने की धमकियां देती रही है। अप्रार्थीया द्वारा उपरोक्तानुसार की जा रही बदसलूकीयों की हद तो तब पार हो गयी जब अप्रार्थीया द्वारा उपरोक्तानुसार किये जा रहे अभद्र व्यवहार के तुरन्त पश्चात् प्रार्थीया को और अधिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने बाबत, केवल इस कुत्सित उद्देश्य से की प्रार्थीया, अप्रार्थीया के अभद्र व्यवहार का किसी भी प्रकार से कोई जवाब भी ना दे सके, प्रार्थीया के चेहरे पर ही अपने मोबाईल का कैमरा ओन कर, अपनी उंगलियों से प्रार्थीया को गन्दे–गन्दे इशारों भी अप्रार्थीया ने करना प्ररम्भ कर दिया गया। अप्रार्थीया के अतिरिक्त, प्रार्थीया एवं अंकित दोनों ही रात को लगभग 9.30 बजे तक सोने के एवं प्रातः 4.30 बजे उठने के आदि प्रारम्भ से ही है, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए, अप्रार्थीया द्वारा देर रात्रि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के घोर अन्धेरे का फायदा उठाकर, अपने प्रेमी श्री ईसरानी के साथ माह दिसम्बर, 2023 से लगातार अनैतिक एवं गैर–कानूनी शारीरिक सम्बन्ध विभिन्न शहरों में यथा कोटा, गोवा, पुष्कर, बून्दी एवं जयपुर में बनाये जाने लगे। प्रार्थीया के पति (अप्रार्थीया के ससूर जी) का देहांत 2020 में हो चुका है। अप्रार्थीया के ससूरजी द्वारा अप्रार्थीया को हमेशा ही अपने बेटी की तरह चाहा। जब अप्रार्थीया के ससूरजी एवं प्रार्थीया को अप्रार्थीया के अन्य पुरूषों के साथ सम्बन्ध होने की जानकारी प्राप्त हुई तो हमें गहरा मानसिक आघात पहुंचा लेकिन अप्रार्थीया के ससुर जी द्वारा अप्रार्थीया की सब गलतियों को भुलाकर, अप्रार्थीया को प्रेम से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उलटे अप्रार्थीया द्वारा अपने ससुरजी एवं प्रार्थीया पर ही अप्रार्थीया की व्यक्तिगत आजादी को छीनने का आरोप लगाकर, अप्रार्थीया द्वारा अपने ही ससूर एवं प्रार्थीया से समस्त परिवार जनो के समक्ष अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुये लड़ना प्रारम्भ कर दिया गया। अप्रार्थीया का व्यवहार अपने ससूर जी के प्रति भी बडा ही क्रूर एवं असभ्य था। अप्रार्थीया के ससूर जी द्वारा भी अप्रार्थीया को कई मर्तबा प्रेम से समझाने की कोशिश की गई लेकिन अप्रार्थीया द्वारा कभी भी अपने ससुरजी की बात पर ध्यान नहीं दिया गया एवं उनकी उम्र का लिहाज रखे बगैर उनसे अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया एवं यहां तक की जिस दौरान अप्रार्थीया के ससुरजी मृत्यु शैया पर थे और पुरा परिवार उनकी सेवा में लगा हुआ था, उस दौरान भी, अप्रार्थीया द्वारा अपने ससुरजी की सेवा करने की बजाय संपत्ति में अपने हक की मांग को लेकर अस्पताल में बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। अप्रार्थीया द्वारा जानबूझकर हर वो कार्य किया गया, जिससे अप्रार्थीया के ससुर जी को अन्त समय में भी अधिक से अधिक पीड़ा पहुंच सके और यह सब देखकर प्रार्थीया की भी उम्र कम हो जावें । प्रार्थीया के पति के देहांत के पश्चात से ही अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति और भी क्रुर एवम अभद्र हो चला। अप्रार्थीया द्वारा कई मर्तबा प्रार्थीया को धमकी भी दी जा चुकी है कि यदि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया की व्यक्तिगत जीवन शैली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया गया तो वह प्रार्थीया को वृद्धाश्रम भेज देगी और दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर कर देगी। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया ही समस्त संपत्ति की मालकिन है, जो कि अप्रार्थीया को नागवारा है। जब से प्रार्थीया के पति का देहान्त हुआ है, अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के अकेलेपन का फायदा उठाकर, प्रार्थीया को भयभीत करने का कोई भी मोका नहीं छोड़ा जाता है। अप्रार्थीया द्वारा प्राथीया को हर वक्त उसी की संपत्ति से धक्का मारकर निकाल देने की चेतावनी दी जाकर, दर–दर भटकने को मजबूर कर देने की धमकी दी जाती रही है, जिसकी वजह से प्रार्थीया अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करती रही है। प्रार्थीया द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थीया को प्रार्थीया के कमरे में प्रार्थीया की अनुपरिथिति में, प्रार्थीया के कमरे में घुस कर, प्रार्थीया आलमारी से छेड़ खानी करते हुए, रंगे हाथों पकड़ा भी जा चुकी है, जिस पर अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया पर ही चोरी का इल्जाम लगाते हुए प्रार्थीया को ही चोर साबित करने की कोशिश की गई, जबकी वास्तविकता में अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की आलमारी में प्रार्थीया की समस्त संपत्ति से संबंधित समस्त दस्तावेजों

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को जबरन हासिल करने के लिये प्रार्थीया की अलमारी की छानबीन की जाती रही है तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ धक्का मुक्की करके पैसे भी छीने गये है। अप्रार्थीया का स्वभाव एवं व्यवहार बडा ही तेज एवं गुस्सेल प्रवृति का होने के साथ ही उग्र एवं सनकी होने के कारण, अप्रार्थीया का स्वयं की हरकतों एवं शब्दों पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा है, जिसकी वजह से शादी के पश्चात् से ही अप्रार्थीया का ना सिर्फ अपने पति एवं प्रार्थीया के संग ही, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी छोटी–मोटी बात पर अप्रार्थीया की कहासूनी होती रहती है, जिस पर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया को समझाने पर, अप्राथीया द्वारा प्रार्थीया को ही अपषब्द कहकर समस्त परिवारजन के समक्ष प्रार्थीया की तोहीन कर, प्रार्थीया को ही गत काफी वर्षो से नीचा दिखाया जाता रहा है। अप्रार्थीया द्वारा शादी के पश्चात भी देर रात्रि में अपने महिला एवं पुरूष मित्रों के साथ पार्टी करने के पश्चात् नशे में धूत्त होकर, आपत्तिजनक आवस्था में पार्टी से घरआये– दिन रात्रि को लगभग 10.30 बजे से लेकर कभी 1.30 तो कभी 2.30 बजे लौटने की वजह से अप्रार्थीया के बच्चों पर पड़ रहे गलत प्रभाव को देखते हुए, प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया को कई मर्तबा समझाने की कोशिश करने पर, अप्रार्थीया द्वारा उल्टा प्रार्थीया पर ही नशे में धूत्त होकर चिल्लाते हुए अनर्गल आरोप लगातार घण्टों लगाये जाते रहते है जिस दौरान अप्रार्थीया, प्रार्थीया से गाली गलौच कर, लडाई– झगडा कर, प्रार्थीया पर बिना उनकी वृद्धावस्था का लिहाज कर अभद्र शब्दों जैसे कि कमीनी, चोर, पागल, औकात नौकर जितनी भी नहीं है, इत्यादि अपमानजनक शब्दो का उपयोग बारंबार प्रार्थीया को कहकर, प्रार्थीया को लज्जित करती है। इतना ही नहीं, अप्रार्थीया,कई मर्तबा प्रार्थीया पर हाथ उठाने को भी उतारू हो गई, जिसके चलते परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बीच–बचाव कर, प्रार्थीया को अप्रार्थीया से बचाया गया है। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया को कई मर्तबा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरे व्हाट्सएप्प मैसेज भी किये गये है, जिसके चलते प्रार्थीया अत्याधिक डरी हुयी एवं अपने को बेहद शर्मिन्दगी भरा महसूस करती है। प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है एवं जब भी वह अकेला महसूस करती है तब वह अपने पोत्रों के साथ अपना समय व्यतीत करना पसन्द करती है। लेकिन अप्रार्थीया को प्रार्थीया के पौत्रों के साथ अपना समय व्यतीत करना जरा भी पसन्द नहीं आता है, जिसके चलते अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया से दुर्व्यवहार कर, प्रार्थीया को उसके पौत्रों से दूर रहने बाबत् चेतावनी दी जाकर, प्रार्थीया के पौत्रों के नजदीक आने के दुष्परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। उक्त घटनाक्रम के चलते, अभी हाल ही में दिनांक 17–09–2024 की रात्रि को अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के पुत्र अंकित कासलीवाल को स्वयं ही अप्रार्थीया एवं ऋषि ईसरानी के साथ उसके अनैतिक एवं गैर –कानूनी शारीरिक सम्बन्धों के बारे सबकुछ बता दिया गया, जिस पर अंकित द्वारा अप्रार्थीया को ऋषि ईसरानी से अपने सभी सम्बन्ध तुरन्त समाप्त करने बाबत् कहने पर, अप्रार्थीया आग–बबूला हो गई और उसके द्वारा उसी क्षण अंकित के मुंह पर तमाचा मारते हुए अप्रार्थीया द्वारा कहा गया कि ऋषि को तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोडूंगी, वो जैसे मुझे छूता है, वैसे मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ, लगातार 2–3 घण्टे तक वो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

और मैं सम्भोग करते रहते है इतनी उसमें क्षमता है, अब उसके बगैर मेरा गूजारा हो ही नहीं सकता, वैसे भी अब तो ऋषि और मैंने हमारे रिश्ते को अटूट बनाते हुए पूरे रिति रिवाजों एवं सप्तपदी से कोटा में स्थित एक मन्दिर में शादी भी कर ली है तो अब तो तुम मुझे भूल ही जाओ और अगर तुम्हे अपनी इज्जत की परवाह है तो चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो और अगर तुम्हें मेरे और ऋषि के रिश्ते से कोई भी परेशानी है तो मुझे कल ही पचीस करोड़ रूपये दे दो, जिससे मैं अपने रास्ते निकल लूं और तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे बिना जैसे आज तक खुशी–खुशी रहते आये हो, वैसे ही रहते रहो। उक्त दिनांक 17–09–2024 को हुए घटनाक्रम के उपरान्त, अप्रार्थीया का तो मानों मस्तिष्क ही फिर गया था कि एक दिन यकायक नौकरों द्वारा अप्रार्थीया को ज्यूस देनें में की गई देरी से व्यथित हो, अप्रार्थीया द्वारा अपना आपा खोते हुए, रसोई के बाहर खड़ी प्रार्थीया को इतनी जोर से धक्का दिया कि प्रार्थिया अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर गिर गई, जिससे प्रार्थीया के घुटनो में हुए ऑपरेशन के कारण प्रार्थीया को असहनीय एवं अकथनीय शारीरिक पीड़ा अप्रार्थीया द्वारा पहुंचायी गई। अप्रार्थीया द्वारा किये गये उक्त कृत्य के उपरान्त, प्रार्थीया के प्राणों को प्रार्थीया के ही घर में, अप्रार्थीया से सदैव ही खतरा महसूस होने लग गया है, जिसके चलते अब प्रार्थीया एवं अप्राथीया का एक ही छत के नीचे रहना प्रार्थीया के लिये खतरे से खाली नहीं है। अप्रार्थीया बहुत ही गुस्सेल एवं कुर किस्म की महिला है, जो कि द्वेष एवं घृणा की भावना में जल रही है। शादी केपश्चात से ही अप्रार्थीया द्वारा हर वो कार्य किया गया है., जिससे प्रार्थीया को दुख–दर्द पहुंच सके क्योंकि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया को अप्रार्थीया की व्यक्तिगत आजादी में अवरोधक ही माना गया एवम् जिसके चलते अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की वृद्धा अवस्था का लाभ उठाते हुए प्रार्थीया को शारीरिक एवम मानसिक प्रताडना दी गई, लेकिन क्योंकि प्रार्थीया एक सभ्य परिवार से है,जिसके चलते प्रार्थीया द्वारा आज दिन तक सब कुछ अंदर ही अंदर सहन किया जाता रहा लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या– 6089/2019 उनवान सुरेश शर्मा व अन्य –बनाम– धनवन्ती शर्मा में यह न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित गया है कि यदि पुत्रवधु द्वारा विधवा सास को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी, न्यायालय द्वारा पुत्रवधु को उक्त निवास, जो कि सास के ही स्वामित्व का है एवं जिसमें सास निवासरत है, में प्रवेश करने से पाबन्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थीया को प्रार्थीया के निवास स्थान में प्रवेश करने से पाबन्द कर दिया जावें क्योंकि यदि अप्रार्थीया को प्रार्थीया के निवास में प्रवेश करने से नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से ही वह प्रार्थीया को और अत्याधिक मानसिक एवं शारीरिक हानि पहंचा सकती है, जिससे प्रार्थीया की जान को भी खतरा है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त दर्ज तथ्यों एवं परिस्थितियों के मददेनजर अप्रार्थीया को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान/प्लॉट नम्बर–668, चम्बल गार्डन रोड, दादाबाडी, कोटा–राज० से जिसमें प्रार्थीया द्वारा निवास किया जा रहा है से अप्रार्थीया को बेदखल किया जावे एवं

उपखण्ड अधिकारी
को.

अप्रार्थीया को पाबंद फरमाया जावें कि वह प्रार्थीया एवं उसके परिवार द्वारा निवास किये जा रहे में शाति पूर्ण निवास उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा अप्रार्थीया अपने रिहाईशशुदा परिसर को खाली करके प्रार्थीया को कब्जा संभला दे तथा प्रार्थीया के उक्त निवास स्थान में प्रवेश नही करें तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्वय या किसी भी अन्य व्यक्ति, एजेन्ट, सर्वन्ट, ड्राईवर इत्यादि अथवा किसी भी अन्य प्रकार से इलेक्ट्रोनिक, टेलीफोन, ई मेल व सोशल मिडिया के माध्यम से प्रार्थीया से किसी भी प्रकार का कोई सम्पर्क नही करें, ना ही सोशल मिडिया पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी ही प्रार्थीया अथवा उसके परिवारजन के विरूद्ध करें, ना ही समाज, पडौस, मित्र, किसी भी बाहरी व्यक्ति के समक्ष, नौकर नौकरानियों, ड्राईवरों, ऑफिस के कर्मचारियों के सामने आथवा मन्दिर, इत्यादि किसी भी जगह प्रार्थीया के विरूद्ध कोई अपशब्द ही किसी से कहें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब प्रस्ततु नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी नं0 1 का जवाब बन्द करने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी बहस हेतु उपस्थित नही हुये।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की आलमारी में प्रार्थीया की समस्त संपत्ति से संबंधित समस्त दस्तावेजों को जबरन हासिल करने के लिये प्रार्थीया की अलमारी की छानबीन की जाती रही है तथा अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ धक्का मुक्की करके पैसे भी छीने गये है। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया की वृद्धा अवस्था का फायदा उठाकर, आये–दिन जानबूझकर प्रार्थीया से नौकरों के सामने गाली–गलौच से एवं अपनी मोटी–मोटी आंखे बाहर निकालकर, अपने हद से बाहर जाते हुए चीखते एवं चिल्लाते हुए, विभिन्न अपशब्दों जैसे की सठियाई हुई बुढ़िया, पागल औरत, धरती पर बोझ एवं प्रार्थीया के पुत्र को कभी गधा कभी कुत्ता कहकर सम्बोधित करते हुए प्रार्थीया को गधे की माँ कभी कुत्ते की माँ कहकर आये–दिन ही खून के आंसू अप्रार्थीया द्वारा रूलाये गये है। अप्रार्थी की ओर प्रकरण में जवाब पेश नही किया गया और न ही बहस हेतु उपस्थित हुये है अतः अप्रार्थी की ओर से प्रार्थीया की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थीया के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। प्रार्थीया को पुत्रवधु शिखा कासलीवाल द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीया त्रस्त है। अप्रार्थी एक ही मकान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रहते हुये निरंतर अवसाद-मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहते है। जिस कारण से प्राथीया को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड रहा है। अतः प्राथीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम स्वीकार कर वांछित मकान/प्लॉट नम्बर-668, चम्बल गार्डन रोड, दादाबाडी, कोटा-राजस्थान से जिसमें प्राथीया द्वारा निवास किया जा रहा है से अप्राथीया को बेदखल किया जाता है एवं अप्राथीया को पाबंद किया जाता है कि वह प्राथीया एवं उसके परिवार द्वारा निवास किये जा रहे परिसर में शांति पूर्ण निवास उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा अप्राथीया अपने रिहाईशशुदा परिसर को खाली करके प्राथीया को कब्जा संभला दे तथा प्राथीया के उक्त निवास स्थान में प्रवेश नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 09/06/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा